



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग थराली
OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER, CON. DIV. PWD THARALI



e_mail :- pwdtharali@gmail.com

पत्रांक 1205 / 36 सी०
सेवा में,

दिनांक 5/08/2024

प्रभागीय वनाधिकारी
बद्रीनाथ वन प्रभाग
गोपेश्वर।

विषय:- जनपद चमोली में आल्यू से चलियापानी तक मोटर मार्ग हेतु 1.383 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:- आपका पत्रांक 370/12-1 दिनांक गोपेश्वर 25.07.2024।

प्रस्ताव सं०:- FP/UK/ROAD/145620/2021

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में आप द्वारा चाही गयी सूचनाएं निम्न प्रकार हैं-

1. द्वितीय संरेखण से सम्बन्धित संरेखण की छाया प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।
2. वैकल्पिक संरेखण की के०एम०एल० जिसमें प्रभावित वनभूमि का दर्शित कर दिया गया है। संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।
3. आल्यू के ऊपर पूर्व निर्मित मार्ग है, जो आल्यू में मिलता है चूंकि मोटर मार्ग का नाम आल्यू से चलियापानी स्वीकृत है, चूंकि पूर्व में भी यह अवगत करवाया गया था कि प्रथम संरेखण पर ही ग्राम वासियों द्वारा सहमति दी गयी है, जिस कारण इस मार्ग को प्रारम्भ बिन्दु संरेखण प्रथम के अनुसार ही लिया गया है।

संलग्न:- तुलनात्मक विवरण की छाया प्रति।

अधिशासी अभियन्ता
नि०ख० लो०नि०वि०
थराली।

प्रतिलिपि:- सहायक अभियन्ता प्रथम नि०ख० लो०नि०वि० थराली को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- कनिष्ठ अभियन्ता/खण्डीय अमीन लो०नि०वि० थराली को आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता
नि०ख० लो०नि०वि०
थराली।



"विवरण"

कार्य का नाम :- जिला योजना के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र थराली में आलयू से चलियापानी तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। (संरेखण I)

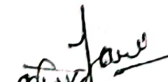
क्र० सं०	विवरण	संरेखण नं० 1	संरेखण नं० 2
1	मुख्य विशेषतायें	मार्ग पक्के भागों से गुजरता है तथा मार्ग में वन सम्पदा न्यूनतम मात्रा में है। मार्ग के निर्मित होने पर इस क्षेत्र के ग्रामवासियों को यातायात की सुविधा होगी एवं पर्यटन में वृद्धि होगी।	मार्ग कच्चे भागों से गुजरता है तथा मार्ग में वन सम्पदा अत्यधिक मात्रा में है। मार्ग के निर्मित होने पर इस क्षेत्र के ग्रामवासियों को यातायात की सुविधा होगी एवं पर्यटन में वृद्धि होगी।
2	मार्ग की लम्बाई	2.000 कि० मी०	2.400 कि० मी०
3	वर्तमान यातायात का साधन	पैदल मार्ग/खच्चर/घोड़ा	पैदल मार्ग/खच्चर/घोड़ा
4	भूमि		
	(अ) कृषि योग्य भूमि	300.00 मी०	741.00 मी०
	(ब) ग्राम पंचायत	875.00 मी०	722.00 मी०
	(स) वन भूमि	825.00 मी०	937.00 मी०
5	सिंचित भूमि	—	—
6	असिंचित भूमि	2000.00 मी०	2400.00 मी०
7	जिला परिषद का पैदल मार्ग	—	—
8	सूर्य प्रकाशित भूमि	2.00 कि० मी०	2.40 कि० मी०
9	भूस्खलन भूमि	—	100 मी०
10	वन सम्पदा	बांझ (कम मात्रा में)	बांझ (अधिक मात्रा में)
11	भूमि	मिट्टी, बोल्टर व कठोर चट्टान	मिट्टी, बोल्टर व कठोर चट्टान
12	मार्ग का ढाल	सामान्यतः 1:20 F, 1:20 R 1:24 F, 1:40 F	सामान्यतः 1:18 F, 1:20 R 1:24 F, 1:40 F, 1:24 R
13	अनुप्रस्थ ढाल	—	—
	(अ) सामान्य ढाल	सामान्य	सामान्य

JE

AE

	(ब) तीव्र ढाल	1:20	1:18
14	मजदूर	कार्य सम्पादन में बाहरी मजदूरों का सहयोग लिया जा सकता है।	कार्य सम्पादन में बाहरी मजदूरों का सहयोग लिया जा सकता है।
15	पानी की निकासी		
	(अ) बड़े पुल	—	—
	(ब) छोटे पुल	—	—
	(स) छोटी पुलिया	16 स्कपर	20 स्कपर
16	लभान्वित ग्राम	आलयू	आलयू
17	प्रस्तावित मोटर मार्ग से संबंध	परखाल-डुंग्री मोटर मार्ग के अन्तिम बिन्दु से।	परखाल-डुंग्री मोटर मार्ग के अन्तिम बिन्दु से।
18	कृषि एवं फल उपयोग की दृष्टि से मार्ग का उपयोग	संतरा, चौलाई, आदि।	संतरा, चौलाई, आदि
19	वन सम्पदा का उपयोग	सड़क निर्माण से क्षेत्र की जनता को परिवहन की सुविधा होगी।	सड़क निर्माण से क्षेत्र की जनता को परिवहन की सुविधा होगी।
20	खनिज एवं अन्य सम्पदा का उपयोग	— तदैव —	— तदैव —
21	लाभ/हानि	सुदूरवर्ति एवं पिछड़े क्षेत्र का विकास होगा मार्ग के निर्माण से समय तथा धन की बचत होगी।	सुदूरवर्ति एवं पिछड़े क्षेत्र का विकास होगा मार्ग के निर्माण से समय तथा धन की बचत होगी।
22	अनुमानित लागत	रु० 103.60 लाख	रु० 124.32 लाख
23	पत्थर	अधिकतर भाग में मिट्टी/पत्थर हैं।	अधिकतर भाग में मिट्टी/पत्थर हैं।
24	वर्षा एवं जलवायु	सामान्य से अधिक वर्षा, मौसम नम व ठण्डा।	सामान्य से अधिक वर्षा, मौसम नम व ठण्डा।
25	एच०पी बैण्ड	4 नं०	5 नं०

प्रस्तावित समरेखण नं० 1 के विषय में उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए मार्ग निर्माण से उक्त ग्रामवासियों के साथ सुदूरवर्ती पिछड़े क्षेत्र की अन्य जनता को भी यातायात की सुविधा उपलब्ध हो जायेगी, तथा क्षेत्र का आर्थिक, सामाजिक स्तर उंचा होगा। अतएव प्रस्तावित समरेखण नं० 1 को स्वीकृत करने की संस्तुति की जाती है।


जिला अधिकारी
लो० नि० वि०
थराली।


जिला अधिकारी
लो० नि० वि०
थराली।


अधीशासी अभियन्ता
लो० नि० वि०
थराली।